

अध्याय –2

शोध–विधि

अध्याय –2

शोध विधि

- 2.1 शोध समस्या
- 2.2 अध्ययन का उद्देश्य
- 2.3 अध्ययन का महत्व
- 3.4 ज्ञान की वर्तमान दशा
- 2.5 शोध विधि

2.1 शोध समस्या

नव सृजित उत्तराखण्ड राज्य¹ का परिवेश कृषि आधारित है। यहाँ की कृषि संस्कृति जनमानस की आत्मा मानी गयी है। कृषि विकास के संदर्भ में एक चिन्तन हमेशा से रहा है कि अल्प कृषि योग्य भूमि वाले इस राज्य में नूतन प्रयोग होते रहें ताकि कृषक परिवारों को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाया जा सके। यह तथ्य भी अक्षरशः सत्य है कि अथक परिश्रम करने के बावजूद भी कुछ उपजाऊ मैदानी भागों को छोड़कर पहाड़ी भू-भाग में कृषि पर्याप्त भरण-पोषण का साधन नहीं बन पायी है। तमाम समस्याओं से घिरे रहने के कारण कृषि क्षेत्र के विकास में रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं। शिक्षित युवा वर्ग कृषि कार्यों से मुँह मोड़ रहा है जिस कारण पलायनवादी प्रवृत्ति गहन चिन्ता का विषय बनती जा रही है।

कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने एवं कृषि कार्यों को प्रभावी बनाने हेतु कारगर आधुनिक तकनीकों का समावेश तथा विशेषज्ञों का दिशा-निर्देशन प्राप्त होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त राज्य की जैविक सम्पदा का सुप्रबन्धन भी गहन अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है। इस दिशा में कारगर पहल एवं सोच-विचार किया जाना चाहिए। इसी क्रम में कृषि उत्पादों के विपणन की भी अपनी अलग समस्या है। अतः कृषि उत्पादों के विपणन प्रबन्ध की दिशा एवं व्यवस्था पर समुचित विचार करने तथा एक सुदृढ़ कार्य नीति अमल में लाये जाने की आवश्यकता है।

कृषि की समृद्धता केवल खेती पर ही निर्भर नहीं हो सकती। खेती के अलावा इसे आय सृजक क्रिया-कलापों से जोड़ा जाना चाहिये। परम्परागत

खेती से विविधीकृत खेती, कृषि की उन्नत राह दिखाता है तथा आधुनिक वैज्ञानिक विधियों को प्रयोग में लाने की सीख व सोच विकसित करता है। इसके अतिरिक्त अच्छी आय अर्जन करने की दृष्टि से कृषकों को समय-समय पर नकदी फसलों के उत्पादन करने के प्रति जागरूक बनाया जाना एवं समुचित जानकारी से विज्ञ कराना भी आवश्यक है।

आज भी हमारे देश में करीब 68 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उनमें से अधिकतर लोगों की आजीविका कृषि कार्यों पर निर्भर है। शोध अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि कृषि कार्यों में पुरुषों की ही भागीदारी नहीं है बल्कि महिलाएं भी खेती के काम में हाथ बटाती हैं। अतः कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को नकारा नहीं जा सकता। उनकी कोई अलग से विशिष्ट पहचान नहीं है फिर भी वे कृषि अर्थव्यवस्था में हर कदम पर कृषकों के साथ जुड़ी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अशिक्षा, अनभिज्ञता, उदासीनता और अंधविश्वास ऐसे अवरोधक हैं, जिस कारण कृषि क्षेत्र का चहुँमुखी समग्र विकास बाधित हो रहा है। ऐसी स्थिति में विशेषकर कृषि कार्यों में लगी ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर उचित ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

खेती के दौरान आने वाली समस्याओं की पहचान करना इस दिशा में कारगर उपाय करना, समय तथा श्रम बचाने वाली तकनीकी की जानकारी सरल भाषा में रोचक तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाना जरूरी है। इस सम्बन्ध में काफी कुछ प्रयास² भी किए गये हैं लेकिन इस नवजागृति व चेतना का लाभ दूर दराज के पिछड़े हुए इलाकों में भी पहुँचना जरूरी है।

जो गांव शहरी क्षेत्रों के नजदीक है उन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के अतिरिक्त उससे सम्बद्ध अन्य गतिविधियों जैसे पशुपालन व डेयरी, रेशम कीट पालन, खाद्य परिरक्षण, हथकरघा वस्त्रकारी, फलों व नयी सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिये जाने की अपार सम्भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इस दिशा में कृषक समूहों, महिला समूहों तथा गैर सरकारी संगठनों ने अपनी पहचान बनायी है। मार्च 2007³ तक उत्तराखंड में 68575 समूह बने थे जिनमें 10 लाख महिलाएं सदस्य थी। उत्तराखंड के परिपेक्ष्य में जनपद उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी एवं अल्मोड़ा में कुल 2050⁴ समूहों का गठन हुआ। शोध अध्ययन की दृष्टि से उधम सिंह नगर, नैनीताल व अल्मोड़ा जनपद में क्रमशः 285, 650 व 224 कुल 1159⁵ समूहों का गठन किया गया।

जैसा पहले बताया गया है कि कृषि कार्यों में पुरुष समाज ही कार्यरत है यह बात खोखली प्रतीत होती है। आज भी महिलाएं खेती के कार्यों में 56% से भी ज्यादा का योगदान करती है। कृषि मंत्रालय के स्तर से भी निरन्तर इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि कृषि कार्यों में लगी ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार हो। हमारे देश में इस समय 500 कृषि विज्ञान केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा फसल उत्पादन, बागवानी, गृह विज्ञान, पशुधन उत्पाद एवं प्रबन्धन की उन्नत तकनीकी का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इससे कृषक परिवारों को यह जानकारी मिलेगी कि स्वास्थ्य, समुचित शिक्षा, पोषण, मानसिक विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व जागरूकता से असशक्तता दूर होगी और इसे प्राप्त करना असम्भव नहीं होगा।

कृषि कार्यों के अतिरिक्त पशुपालन आज भी पारम्परिक तरीके से होने वाली खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। पशुपालन का

अर्थ यह नहीं है कि बड़ी संख्या में पशुओं को रख लिया जाय बल्कि पशुपालन का सही मायने में यह अर्थ है कि कम संख्या में अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन पोषण हो और उनके रखरखाव का सही वातावरण सुलभ हो। पशुपालन एवं दुग्ध विकास की दृष्टि से ग्रामीण इलाकों में पशुपालन पशुधन माना गया है। पशुधन को एक तरह से चलता फिरता बैंकिंग प्रणाली भी कहा जा सकता है। क्योंकि पशुओं की कभी भी मुद्रा के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। बैंकिंग और अर्थव्यवस्था की शब्दावली में इसे “लिव्विडिटी” कहा जा सकता है। यहाँ तक कि पशुधन को ग्रामीण गरीबों का A.T.M. कहा गया है। यही विचार श्री संदीप कुमार⁶ ने “पशुधन ग्रामीण गरीबों का अपना ए0टी0एम0” शीर्षक में सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया है।

पशुपालन व दुग्ध विकास के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड के पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में कई दृष्टि से विभिन्नता पायी गयी है। उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी नस्ल के स्वस्थ पशुओं का अभाव है इसके अलावा पशु चिकित्सा सुविधाएं दूरस्थ स्थानों में उपलब्ध है। इसकी तुलना में मैदानी क्षेत्रों में पशुपालक पशु प्रदर्शनियों का लाभ ले रहे हैं। पशुओं के रख-रखाव का उचित प्रबन्ध किया गया है। दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन हुआ है। अच्छी नस्ल के पशुओं पर ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है पशु-चिकित्सकों की समय-समय पर सेवाएं ली जा रही है। इससे पशुपालन व दुग्ध विकास के क्षेत्र- मैदानी भागों में आर्थिक रूप से सम्पन्नता पायी गयी है। जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालकों को पशुपालन व दुग्ध विकास में आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि पर्वतीय क्षेत्रों को भी इस दिशा में

अधिक सशक्त बनाया जाए। उन्नत नस्ल के पशुओं की उपलब्धता एवं पौष्टिक चारे की व्यवस्था आवश्यक है।

रेशम उद्योग एवं रेशम कीट पालन कृषि आधारित एक कुटीर उद्योग है, यह एक स्वरोजगार का साधन माना गया है। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एवं उन्हें स्वरोजगार का साधन कुटीर उद्योग के रूप में उपलब्ध कराने के लिए रेशम उद्योग एक सकारात्मक विकल्प है। रेशम उद्योग अथवा रेशमी वस्त्रों का भौतिक आधार कच्चे रेशम की उपलब्धता है जो कि रेशम कीट पालन द्वारा प्राकृतिक तरीके से ही उपलब्ध हो सकता है। रेशम कीट पालन में शहतूत की खेती शहतूती रेशम के लिए जरूरी है, क्योंकि शहतूत की पत्ती खाकर रेशम का कीड़ा रेशम बनाता है। दूसरे चरण में रेशम कीट पालन घरों में रहकर करने के लिए मानव श्रम की आवश्यकता जरूरी है और यदि रेशमी धागे बन जाते हैं तो धागाकरण द्वारा धागा निर्माण यानी रेशमी कोशों के धागा बनाने की प्रक्रिया में भी मानवीय श्रम आवश्यक हो जाता है। अतः रेशम उत्पादन एक श्रम साध्य प्रक्रिया है। जानकारी⁷ के अनुसार रेशम उद्योग एवं रेशम कीट पालन में 60–70 प्रतिशत भागीदारी ग्रामीण महिलाओं की है। इस प्रकार यह स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का एक प्रयास माना जा सकता है।

यदि रेशम उत्पादन का गहनता से अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होता है कि हमारे देश के 50 हजार गाँवों में लगभग 60 लाख लोग रेशम कीट पालन तथा रेशम उद्योग के माध्यम से अपना जीवन-यापन कर रहे हैं⁸। इनमें कुछ परम्परागत राज्य हैं जैसे उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पूर्व में पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम में राजस्थान व गुजरात जहाँ रेशमी वस्त्रों का निर्माण विभिन्न कलाकृतियों के माध्यम से किया जाता है।

कुछ राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में जैसे कृषि योग्य भूमि की अनुपलब्धता, सिंचाई के साधनों की अनुपलब्धता के कारण भी रेशम उत्पादन का कार्य हो रहा है। इसका सकारात्मक पहलू यह है कि शहतूत का पौधा असमान्य परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। समुद्र तल से लेकर 9000–10000 की ऊंचाई तक शहतूत की पौध लगायी जा सकती है।

बेरोजगारी की विकट समस्या व आवागमन के अभाव के कारण रेशम उद्योग उत्तराखंड क्षेत्र में अधिक प्रगति नहीं कर सका है। उत्तराखंड में देहरादून जनपद के अनेकों गाँव ऐसे हैं जहाँ लोग विशेषकर महिलाएं रेशम कीट पालन कर रेशमी धागों का निर्माण कर रही है। दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में बागेश्वर, लमगड़ा (अल्मोड़ा) विकास खण्ड, रूद्रप्रयाग में रेशमी धागाकरण के साथ-साथ छोटे-छोटे हथकरघों पर रेशमी वस्त्रों का निर्माण हो रहा है। और इस क्रिया में शहतूत पौध व रेशम कीट पालन का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी तरह हल्द्वानी के कुसुमखेडा (नैनीताल) क्षेत्र में भी रेशमबाग जगह पर शहतूत पौधरोपण व रेशम कीट पालन का कार्य किया जा रहा है।

योजना के अन्तर्गत रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से महिला रेशम समितियों का निर्माण किया गया है। देहरादून से 25 कि०मी० दूर भगवानपुर गांव में लगभग 20 महिलाएं स्वयं महिला समिति चलाती हैं। समिति द्वारा अपने संसाधनों से रेशम बीज खरीदने, शहतूत बागान, शहतूत वृक्षों के रखरखाव पर खर्च किया जाता है। कुछ राज्यों में जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमांचल प्रदेश की समितियाँ शामिल है, जिनको राज्य सरकार अनुबंध के माध्यम से राजकीय रेशम फार्म के माध्यम से शहतूत पत्ता उपलब्ध कराते हैं। यह जानकारी देना भी आवश्यक है कि रेशम कोशा (कोकून) के

उत्पादन के बाद लगभग 80 प्रतिशत कोशाओं को रेशमी धागाकरण के प्रयोग में लाया जाता है शेष 20 प्रतिशत बीजोत्पादन के काम आता है।

ग्रामीण बाजार क्षेत्रों में उत्पादों के विपणन की विकट समस्या है जिसका हल आर्थिक सुदृढीकरण हेतु आवश्यक है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बाजार लगाये जाते हैं। उत्पादकर्ता अपने उत्पादों को किस प्रकार इन छोटे विपणन केन्द्रों तक ले जाएं यह भी एक समस्या है। फल सब्जी संग्रह केन्द्र उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। इसके बावजूद भी उत्पादों के विपणन की सही दिशा व मार्ग दर्शन नहीं मिल पाया है।

कहने का आशय यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित विभिन्न उत्पादों जैसे कृषि उत्पाद, फल-फूल, सब्जी उत्पाद, दुग्ध उत्पाद आदि प्रकार के उत्पाद हैं, जिन्हें अधिक समय तक संग्रह कर नहीं रखा जा सकता। इस हेतु कृषि विविधिकरण परियोजना द्वारा इस दिशा में पहल की गयी तथा ग्रामीण मार्गों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का प्रयास भी किया गया। शोध अध्ययन के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि उत्पादों के विपणन हेतु लोगों को स्वयं अपनी व्यवस्था करके शहरों में स्थित मंडियों में जाना पड़ता है। इससे समय, श्रम व धन की बर्बादी होती है। उत्पादों का उचित मूल्य ना मिलने के कारण उत्पादकर्ताओं को निराशा ही हाथ लगती है। अतः इस दिशा में सुविकसित ग्रामीण बाजार व ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण जरूरी है। साथ ही विभिन्न एजेन्सियों द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि उनका उत्पाद समय से शहर की बड़ी मंडियों तक पहुँच जाए और उन्हें उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समुचित विकास हेतु सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर अनेकों योजनाएं बनायी जाती हैं व क्रियान्वित की जाती है (परिशिष्ट सं०- 16)। योजनाएं बनाते समय व्यापक विचार-विमर्श, विशेषज्ञों की राय व बजट का निर्धारण किया जाता है। प्रायः देखा गया है कि योजनाओं पर भारी व्यय किया जाता है, इसके बावजूद भी समस्याएं विकास पथ पर रोड़ा बनी हुई हैं। मूलभूत समस्याओं के साथ ही नवीनतम तकनीकी जानकारी का अभाव आधुनिकीकरण, यंत्रीकरण, विविधिकरण व वैज्ञानिक प्रबन्ध का समावेश ना होना विपणन सुविधाओं की ओर ध्यान आकृष्ट ना करना, जन जागरूकता का प्रबन्ध ना होना, चर्चा-परिचर्चा में असमर्थता व्यक्त करना आदि अनेक गम्भीर चुनौतीपूर्ण समस्याएं हैं। यहां इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है नवीनतम तकनीकी जानकारी का लाभ एवं ऋण सुविधाओं का लाभ केवल आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न कुछ गिने-चुने कृषक एवं उद्यमी ही ले रहे हैं। गरीब किसान व पिछड़े हुए क्षेत्रों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

कृषि विविधिकरण परियोजना ने जिन पांच जनपदों को अपनी योजना में शामिल किया था उनके द्वारा कुछ ही कृषक समूहों को नवीनतम तकनीकी जानकारी सुलभ हो पायी। परियोजना की पहल पर कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाये गये व चर्चा-परिचर्चा का आयोजन किया गया। योजना के मार्गदर्शन में वित्तीय संस्थाओं से विचार-विमर्श करके ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। इस दिशा में विशेषज्ञों के अध्ययन दल ने ग्रामीणों को कृषि एवं उससे सम्बद्ध गतिविधियों के लिए उपयुक्त सुझाव दिये और उनकी समस्याओं से रू-ब-रू हुए।

2.2 अध्ययन का उद्देश्य

देश के ग्रामीण विकास की महत्ता को सवौपरि समझते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा पिछले कुछ दशकों से अथक प्रयास किए हैं, ये प्रयास विभिन्न योजनाओं के लागू किए जाने के परिणाम स्वरूप सामने आयी हैं। इन योजनाओं को लागू करने का उद्देश्य ग्रामीण विकास में रोजगार की भागीदारी बढ़ाना तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता लाना रहा है (परिशिष्ट सं०- 18)। जैसा गांधी जी ने कहा भी था कि वास्तविक भारत गाँवों में ही निवास करता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इसका मुख्य कारण ग्रामीण आधारभूत ढाँचे और अवसंरचनात्मक ढाँचे की स्थिति का ठीक ना होना है। इसलिए ग्रामीण विकास पर अधिक ध्यान देने की दृष्टि से योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है।

हमारे देश में समय-समय पर विकास कार्यक्रमों पर आधारित नीतियों का निर्माण किया गया है। वर्तमान में ग्रामीण विकास, रोजगार-सम्बर्द्धन व विभिन्न क्षेत्रों की विशेष किस्म की समस्याओं को हल करने को कई प्रकार के कार्यक्रम लागू किये गये हैं। जिनमें से कुछ निम्नवत हैं-

- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना⁹ जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में छोटे उद्योगों की स्थापना करना है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम¹⁰ यह योजना 27 राज्यों के 200 पिछड़े जिलों में लागू की गयी है।
- महिला स्वयंसिद्धा¹¹ योजना, इस योजना में देश के 650 विकास खंडों में इसे 116 करोड़ रुपये व्यय करते हुए चलाने का निर्णय लिया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत 9.30 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जा सकेगा।

- स्वर्णिम योजना¹² के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 50,000,00 तक का उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है।
- महिला डेरी परियोजना¹³ में ग्रामीण महिलाओं के जीवन को सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से ऊँचा उठाने हेतु शुरू की गयी। इस परियोजना के अन्तर्गत देश में महिला दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कर उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित की गयी है।
- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना¹⁴ यह योजना देश के 385 जिलों में चलायी जा रही है।
- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना¹⁵, इस योजना में आर्थिक सुधारों के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का स्तर ऊपर उठाने के लिए सामाजिक तथा आर्थिक आधारभूत ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए लागू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण आवास-इन्दिरा आवास योजना व समग्र आवास योजना, ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम ग्रामीण स्वच्छता एवं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना प्रमुख है।
- खादी एवं ग्रामोद्योग¹⁶ आयोग इसका उद्देश्य गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन करना है।

सरकार द्वारा उपरोक्त विभिन्न विकास कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु जिन अनुकूल प्रभावों

एवं परिणामों की मंशा थी लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अधिक कारगर सिद्ध ना हो सके। इनके पीछे जो कारण विद्यमान रहे वे हैं—

- विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में असावधानी का बढ़ता जाना।
- जरूरतमंद व्यक्तियों को योजनाओं की परिधि से बाहर रखा गया।
- अशिक्षा के कारण जन-जन तक कार्यक्रमों की सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पायी।

इन कमियों के बावजूद भी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में कुछ ना कुछ योगदान अवश्य रहा। वर्तमान में उक्त कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु हर स्तर पर कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। तभी सभी वर्गों विशेषकर महिलाओं, गरीबों, पिछड़े वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव आयेगा।

सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु यद्यपि कई लाभकारी योजनाएं लागू की गयीं। इन योजनाओं को दृष्टि में रखते हुए शोधार्थी “कृषि विविधिकरण सहयोग परियोजना (डॉस्प)” को अपने शोध कार्य का आधार बनाया। यह योजना उत्तराखंड के कृषि विकास एवं सम्बद्ध गतिविधियों के विकास हेतु बनायी गयी थी, और यह योजना उत्तराखंड में एक प्रयोग के रूप में क्रियान्वित की गयी। इस योजना पर शोध अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि इस योजना के क्रियान्वयन में परियोजना समन्वयन ईकाई, जिला परियोजना समन्वयक, स्वयं सहायता संगठन एवं स्वयं सहायता समूहों की संयुक्त उत्तरदेयता रही। इसके अलावा समय-समय में परियोजना के क्रियाकलापों के अनुविक्षण का कार्य उत्तराखंड सरकार को दिया गया। विश्व

बैंक द्वारा पोषित होने के कारण इस परियोजना पर विश्व बैंक के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों का भी दिशानिर्देश प्राप्त हुआ। यह परियोजना उत्तराखण्ड के पाँच जनपदों में लागू की गयी तथा योजना के माध्यम से आशाजनक परिणाम प्राप्त होने की सम्भावना व्यक्त की गयी। मेरे शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य डॉस्प द्वारा किये गये कार्यों पर आधारित रहा।

उत्तराखण्ड के कृषि विकास एवं सम्बद्ध गतिविधियों के विकास में कृषि विविधिकरण परियोजना की क्या भूमिका रही यह जानने के लिए योजना के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया गया। डॉस्प ने जिन उद्देश्यों के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य में कार्य किया, उन उद्देश्यों को मैंने अपने शोध प्रबन्ध में शामिल तो किया ही साथ ही समग्र अध्ययन की दृष्टि से अन्य उद्देश्यों का भी आँकलन, अध्ययन एवं विवेचना की है। इस परियोजना का समग्र अध्ययन करने के उपरांत शोधार्थी ने परियोजना क्रियान्वयन के कमजोर बिन्दुओं को भी सामने लाने का प्रयास किया है, तथा भविष्य के लिए आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत किये हैं। अध्ययन की दृष्टि से योजना के प्रमुख बिंदुओं एवं उद्देश्यों की चर्चा 1.2 में की गयी है।

2.3 अध्ययन का महत्व

कोई भी परियोजना जब क्रियान्वित की जाती है तब उसका मनोवैज्ञानिक पहलू यह रहता है कि यह परियोजना अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में कितनी सफल होगी। परियोजना की सफलता व्यवस्थित संगठनात्मक ढाँचे एवं कुशल प्रबन्ध पर निर्भर होती है। परियोजना के हर पहलू का गहन अध्ययन करना जरूरी होता है। परियोजना का निर्माण किसी क्षेत्रों के चहुँमुखी विकास हेतु निश्चित मापदण्डों के आधार पर किया जाता है। परियोजना का कृषि विकास, पशुपालन व दुग्ध विकास, रेशम उत्पादन उत्पादों के विपणन व अन्य गतिविधियों में क्या योगदान रहा यह जानकारी प्रस्तुत करना शोध अध्ययन की दृष्टि से आवश्यक हो जाता है इसके अतिरिक्त अभिनव प्रयोग करने नकदी फसलों का उत्पादन, जैविक खेती को अपनाना आयवर्धक क्रियाकलाप, समितियों का गठन, उत्पादक समूहों का निर्माण, स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका उत्पादों का विपणन, प्रबन्ध तकनीकी जानकारी, वित्तीय सुविधाएं, विशेषज्ञों का दिशा निर्देश, समस्याओं पर चर्चाएं, योजनाओं की जानकारी आदि अनेक बिन्दु हैं जिनका सटीक अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। शोध अध्ययन की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि परियोजना का गहराई से अध्ययन करके उन पहलुओं को उजागर किया जाए जिनका समावेश परियोजना में ना किया गया हो।

ऐसा माना गया है कि परियोजना का अध्ययन करने के उपरांत जो शोध परिणाम सामने आते हैं वे किसी भी उद्देश्य हेतु उपयोगी होंगे। अतः यह कहा जा सकता है कि शोध अध्ययन के परिणाम कृषि विकास एवं सम्बद्ध गतिविधियों

के विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण, उपयोगी व मार्गदर्शक सिद्ध होंगी। इसके अलावा आय सृजक क्रियाकलापों की जानकारी के लिए शोध अध्ययन के परिणाम एक आधार बन सकते हैं। शोध परिणामों से सरकार भी लाभान्वित हो सकती है, क्योंकि इसके द्वारा सरकार को कोई विशिष्ट योजना लागू करने की दिशा में उचित नीति निर्माण करने व मार्गदर्शन करने में सहायता मिल सकती है। शोध प्रबन्ध की विषय सामग्री भविष्य में शोधार्थियों के लिए लाभकारी हो सकती है, और सन्दर्भ के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है।

2.4 ज्ञान की वर्तमान दशा

यद्यपि मेरा शोध विषय उत्तराखण्ड के कृषि विकास एवं सम्बद्ध गतिविधियों के विकास में कृषि विकास एवं सम्बद्ध गतिविधियों के विकास में कृषि विविधिकरण सहयोग परियोजना 'डास्प' की भूमिका कुमाऊँ के विशेष सन्दर्भ में आधारित है। लेकिन कृषि विकास एवं इससे जुड़े सम्बद्ध घटकों जैसे महत्वपूर्ण विषय पर देश-विदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं के शोधकर्त्ताओं के इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर शोध कार्य किये है। गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, (उत्तराखण्ड), कृषि विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा), है। गोविन्द बल्लभ पन्त पर्यावरण संस्थान, कोसी-कटारमल (उत्तराखण्ड) द्वारा किये गये कार्य तथा सरकार द्वारा लागू विविध योजनाएं भी इस दिशा में उल्लेखनीय है।

इसी क्रम में कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के विकास की विस्तृत जानकारी संदर्भ ग्रन्थों तथा सम्पादित पुस्तकों में विभिन्न विद्वान विशेषज्ञों द्वारा दी गयी है। इनमें से कुछ निम्नवत हैं— Kapila Raj and kapila Uma (2006)¹⁷, Radhakrishna R. Sharma Alakh N. (1998)¹⁸, Nayar Rohini and Sharma Alakh N. (2005)¹⁹, Dr. Kaeker Madhav (1982)²⁰, Ashhou David & Smith M.E. (1979)²¹, Desai Vasant (1992)²², Hissich R.D. Petess Michael P, Shephersd Dean A (2007)²³

इसके अतिरिक्त कुछ संदर्भ ग्रन्थों का उल्लेख संदर्भ सूची में दिया गया है।

2.5 शोध विधि

उत्तराखण्ड के कृषि विकास एवं सम्बद्ध गतिविधियों के विकास में कृषि विविधीकरण परियोजना (डॉस्प) की भूमिका कुमाऊँ के विशेष सन्दर्भ में इस शोध शीर्षक का गहन अध्ययन करने के लिए कुमाऊँ मण्डल के तीन जनपदों (अल्मोड़ा, नैनीताल व उधमसिंह नगर) को लिया गया तथा इन जनपदों से क्रमशः 6, 6, 3 विकासखण्डों को शामिल किया गया। शोध अध्ययन की दृष्टि से प्रत्येक विकासखण्ड से विभिन्न वर्गों के कृषकों का एक उचित प्रतिनिधि प्रतिदर्श लिया गया। यद्यपि डॉस्प के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के जनपदवार व विकासखण्डवार चयनित गाँव व कृषक समूहों की संख्या दी गयी है (परिशिष्ट सं०- 19) लेकिन अध्ययन की दृष्टि से प्रत्येक पहाड़ी विकासखण्ड से 30 कृषक परिवारों से सम्बन्धित हर प्रकार की जानकारी लेने का प्रयास किया गया है तथा मैदानी विकासखण्डों से 50 कृषक परिवारों से।

प्रत्येक विकासखण्ड से विभिन्न वर्गों के कृषकों एवं उनके द्वारा किये गये कार्यों को दृष्टि में रखते हुए उनकी आय रोजगार सृजन व उत्पादन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन किया गया। सर्वेक्षण के आधार पर इस तर्क को भी पुष्ट किया गया कि विकासखण्डवार गठित महिला समूहों/कृषक समूहों की कृषि विकास में क्या भूमिका रही।

यद्यपि शोध अध्ययन का क्षेत्र उत्तराखण्ड के कुमाऊँ मण्डल के कृषि क्षेत्र एवं उससे सम्बन्धित विभिन्न घटकों के विकास के अध्ययन एवं विश्लेषण तक सीमित रहा फिर भी सर्वेक्षण के आधार पर विविध सूचनाओं के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में डॉस्प के

क्रियान्वयन से क्या परिणाम निकले और उससे कृषको की समस्याओं का कितना निराकरण हुआ तथा पलायनवादी प्रवृत्तियों पर कितनी रोक लग सकी।

शोध शीर्षक का समग्र अध्ययन करने की दृष्टि से विविध उपयोगी आकड़ों एवं सूचनाओं को एकत्र करने का कार्य किया गया। कृषकों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं से व्यक्तिगत रूप से वार्ता/साक्षात्कार तथा प्रश्नावलियों के माध्यम से प्राथमिक समस्याओं का संकलन किया गया (प्रश्नावलियां परिशिष्ट संख्या-02 एवं 03 में संकलित हैं)। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर के विभिन्न विभागों एवं निदेशालयों तथा जिला स्तरीय कार्यालयों द्वारा प्रकाशित/अप्रकाशित आकड़ों, प्रतिवेदनों एवं विवरणों के माध्यम से तथा सन्दर्भ ग्रन्थों की मदद से तथा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित नवीनतम जानकारी के माध्यम से शोध कार्य को अन्तिम रूप दिया गया।

सन्दर्भ

1. उत्तरांचल राज्य देश का 27वां राज्य है। इसका विधिवत गठन 9, नवम्बर 2000 को किया गया। 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तित कर 'उत्तराखण्ड' राज्य कर दिया गया है। वर्तमान में यह उत्तराखण्ड राज्य से जाना जाने लगा है।
2. आकाशवाणी का कृषि एवं गृह एकाश: इस दिशा में कारगर सिद्ध हुआ है।
3. कुरुक्षेत्र, वर्ष 54, अंक: 5, मार्च 2008 पृष्ठ-11
4. कृषि विविधिकरण परियोजना, उत्तरांचल रिपोर्ट के अनुसार
5. परियोजना के अन्तर्गत शोध अध्ययन की दृष्टि से चुने गये तीन जनपदों में निर्मित स्वयं सहायता समूहों की जानकारी पर आधारित।
6. कुरुक्षेत्र, वर्ष 54, अंक: 5, मार्च 2008 पृष्ठ-23-25
7. वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से उपलब्ध आकड़ों के अनुसार
8. कुरुक्षेत्र, वर्ष 54, अंक: 5, मार्च 2008 पृष्ठ-13
9. गाँवों में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार की यह योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारम्भ की गयी।
10. प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने 2 फरवरी 2006 को इस योजना का शुभारम्भ किया।
11. महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 में इस योजना की घोषणा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 12 जुलाई 2001 केन्द्रीय परामर्श समिति द्वारा की गयी।
12. यह योजना सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग की ऐसी महिलाओं के लिए चालू की गयी है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सदस्य है।
13. भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित।

14. भारत सरकार द्वारा इस योजना का शुभारम्भ 25 सितम्बर 2001 को किया गया।
15. भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2000-01 में की गयी।
16. इस आयोग की स्थापना 1956 में की गयी थी।
- 17- Kapila Raj & Kapila Uma, India Economy: A Journey in Time & Space, Academic Foundation, New Delhi, 2006
- 18- Radhakrishna R., Sharma Alakh N., Empowering Rural Labour In India, INSITITUTE FOR HUMAN DEVELOPMENT, New Delhi, 1998
- 19- Nayar Rohini and Sharma Alakh N., Rural Inransformation In India, The Role of Non-farh Sector, INSTITUTE FOR HUMAN DEVELOPMENT New Dehli, 2005
- 20- Dr. Kacher Madhav, Marketing & Economic development, DEEP & DEEP PUBLICATION, New Delhi, 1982
- 21- Ashton David & Smith Mark Easter by, MANAGEMENT. DEVELOPMENT IN THE ORGANIZATION THE MACMILLAN PRESS Ltd, London, 1979
- 22- DESAI VASANT, Dynamics of Entrepreneur pal Development and Management- Principles Projects, Policies and Programmes, Himalaya Publishing House, Bombay, 1992
- 23- Hisrich Robert D, Peters Michael P, Shepheral Dean A, Entrepreneurship, Tata McGraw- Hill Publishing Company Limited, New Delhi, 2007
